प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.07.2024

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, चोरी किये गया एक आइसर कैन्टर/ट्रक (अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये) व माल 264 पेटी (इवारेडी बैट्री-कीमत करीब 22 लाख रुपये) व कब्जे से दो फर्जी नम्बर प्लेट व कुछ फर्जी कागजात बरामद ।

दिनांक 25-06-24 को श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल (मैनेजर) निवासी आर0के0कारवर्डिग कं0 678 , मेजर आशाराम त्यागी मार्ग, मेरठ रोड गाजियाबाद थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 19-6-2024 को एक ट्रक सं0 UP -87-T-4125 को गाजियाबाद से रोहतक (हरियाणा) के लिए 956 पेटी एवरेडी का स्टाक लोड किया गया है। उपरोक्त ट्रक अभी तक भी रोहतक नही पहुचा है। ट्रक ड्राइवर को फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की जा रही है पर उसका मोबाइल बन्द है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण - उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए , टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 27-07-24 को चैकिंग के दौरान मुखिबर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण को मय कैन्टर (ट्रक) मय 26 4 पेटी माल मय फर्जी रजि0ल नं0 प्लेट मय कुछ फर्जी कागजात के राजनगर एक्सटेंशन स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम के पास खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया, अभि0गण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण— पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा एक ग्रुप है हम लोग साजिश के तहत काम करते है तथा हमारे ग्रुप मे कई लोग शामिल है पहले हम लोग किसी व्यक्ति से गाडी हायर कर लेते है तथा फिर आनलाईन नेट से हम ट्रान्पोर्टर का नाम व नम्बर सर्च करते है उसके बाद ही हमारे साथी अंकित ट्रान्सपोर्टर से बातचीत कर धोखे से उससे ट्रान्सपोर्टर बताकर माल डिलवरी के लिए पूछते है फिर उसके बाद हम लोग ड्राईवर को गाडी लेकर वहाँ भेज देते है तथा कम्पनी या फर्म से माल भरकर ले जाते है उसके बाद फोन बन्द कर लेते है तथा गाडी को माल सहित सुनसान जगह पर खडी कर देते है उसके बाद सन्दीप मलिक व कृष्णा कुमार व अंकित मलिक माल को बेचने के कार्य मे लग जाते है हमने ऐसे ही इस घटना को अंजाम दिया है दिनांक 19/06/2024 को भी हमारे साथी कृष्णा दहिया ने न्यू हरियाणा रोडवेज के ट्रासपोर्टर को फोन कर हरियाणा मे भाडे की माल की डिलवरी हेतु फोन किया था जिसपर ट्रासपोर्ट के मालिक द्वारा रोहतक का माल ले जाने के लिए बताया तब राहुल यादव गाडी लेकर फर्म पर पहुँचा था वहां पर राहुल यादव ने अपना नाम पवन बताया था तथा गाडी मे माल लोड कर वहां से निकल गया उसके बाद हमलोग कुछ आगे ही राहुल को मिल गये थे क्योकि उस समय रात्री के 08.00 बजे थे तो हमने पुलिस की डर की वजह से गाडी को स्टेडियम के पास खाली खेतो तरफ गाडी को लाकर खडा कर दिया था फिर हमने उसपर पहले लगायी हुई फर्जी नम्बर प्लेट को उतारकर उसपर UP25DT1747 की नम्बर प्लेट लगा दी थी जिससे किसी को कोई शक न हो तथा फर्जी नम्बर प्लेट के हम अपने साथी कृष्णा दहिया से मिलकर फर्जी पेपर भी तैयार कर लेते है इस गाडी के पेपर भी ऐसे ही फर्जी तैयार कर रखे जो गाडी मे डेस बोर्ड मे रख लेते है , जिससे हम पुलिस को चकमा दे सकें। उक्त ट्रक को अंकित, संदीप, सोनू फर्जी रजि नं0 प्लेट के लगाकर जगह जगह उक्त माल को लगातार बेच रहे थे, आज हम लोग शैलेन्द्र शाह को यहां पर माल देने के लिए आये थे, माल लेने के लिए शैलेन्द्र शाह यहां आया हुआ था, पूछताछ में शैलन्द्र शाह ने बताया कि मैने अभी कुछ दिन पहले ही चाँदनी चौक दिल्ली मे दुकान खरीदकर इलक्ट्रोनिक समान को बेचने का काम शुरु किया है, मेरे पास इनके साथी अंकित व संदीप मेरी दुकान पर आये थे तथा इन लोगो ने मुझे बताया कि हम कंपनी से माल गाडी भाडे के बहाने से माल को लेकर छुपाकर रख देते है तथा हम तुम्हे सस्ते दामो पर एवरिडी की बैट्रियां दे

देगे, जिससे में भी लालच मे आ गया तथा अंकित व संदीप से मैने माल खरीदने की हामी भर दी तथा उनको माल के पैसे भी दे दिये थे, उसी माल को लेने में एक गाडी किराये पर कर रखी थी उसी का इंतजार कर रहा था कि आपने हमे पकड लिया। गाडी के रजिं0 नं0 UP 25 DT 1747 नम्बर प्लेट लगी है तथा गाडी के अन्दर देखा तो गाडी के अन्दर पेटिया रखी है तथा कुछ पेटिया खाली प्लाँट मे रखी थी।

अभि0गण का नाम व पता-

(1) राहुल यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव निवासी ए 187/85 इन्द्रा कालोनी पंजाबी बाग दिल्ली मूल पता गांव डबिआ थाना पवारा जिला जोनपुर उम्र 26 वर्ष

(2) कृष्ण कुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी गांव बड्ड गांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 35 वर्ष

(3) शैलेन्द्र शाह पुत्र हरि लाल निवासी म0न0 297 ढाका गांव किग्जेव कैंप दिल्ली मूल पता गांव अजगरवा थाना पपली दयाल जिला मोतीहारी बिहार उम्र 30 वर्ष

(4) अंकित मलिक निवासी हरियाणा (फरार)

(5) संदीप मलिक निवासी दिल्ली (फरार)

(6) सोनू निवासी हरियाणा (फरार)

आपराधिक इतिहास-

(1) अभि0 कृष्ण कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोशीकंला जनपद मथुरा में आब0अधि0 व धोखाधडी व फर्जी दस्तावेज बनाने व इस्तेमाल करने संबंधी एक अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण—

1 01 आइसर कैन्टर(ट्रक)

2 02 फर्जी नम्बर प्लेट रजि नं0 UP25DT1747

3 चोरी हुए माल की 264 पेटी (इवारेडी बैट्री)

4 ट्रक के रजि0नं0 सम्बन्धित फर्जी कागजात

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

स्वाट टीम नगर जोन।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस के बडे टैंकरों से गैस चोरी कर कॉमर्शियल सिलेण्डरों में रीफिलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 06 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से रीफिलिंग करने के उपकरण, द्रवित पैट्रोलियम गैस के टैन्कर व कॉमर्शियल सिलेन्डर बरामद।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम गैस रीफिलिंग सैन्टर लोनी से गैंस के टैंकरों से विभिन्न जनपदों एंव राज्यों में सप्लाई किया जाता है। क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि हिन्दुस्तान पैट्रोलियम / इण्डेन गैस रीफिलिंग सैन्टर लोनी से गैंस के टैंकरों को भरने के बाद अपने गन्तव्य स्थान को न जाकर कुछ गैंस के टैंकर / कैप्सूल पाईप लाईन रोड कल्लूगढी फाटक के पास थाना क्षेत्र मसूरी गाजियाबाद में आकर गैंस के टैंकरों से बडे कॉमर्शियल सिलेण्डरों (19 किलोग्राम) में रीफिलिंग का अवैध कार्य किया जा रहा है इस पर दिनाँक-26/07/24 को सुबह 3 से 4 बजे

के बीच दबिश देकर 04 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम / इण्डेन गैस के द्रवित पैट्रोलियम गैस टैंकर / कैप्सूल व 34 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर, सिलेण्डर लादने के लिए गाडी (इण्टरा वी-20) व रीफिलिंग के उपकरण सहित 06 व्यक्तियों को हिरासत में लेने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त सुधांशु सिंह ने बताया कि वह ग्रेजुएट है वर्ष 2012 मे उसने आगरा में आदित्य गैस सर्विस मे काम किया जिसमें इण्डेन के घरेलू गैस सिलेण्डर की होम डिलिवरी करता था फिर वहाँ से छोड कर रोहतक में मेहर गैस सर्विस में होम डिलिवरी का काम करने लगा इसी बीच उसका आना-जाना लोनी स्थित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम में हुआ उसका सम्पर्क पुष्पेन्द्र व हरप्रीत से हुआ जो हिन्दुस्तान पैट्रोलियम / इण्डेन गैस के द्रवित पैट्रोलियम गैंस के टैंकरो / कैप्सूल के चालक थे आपस में इन्होने योजना बनायी कि जब पुष्पेन्द्र व हरप्रीत टैंकर / कैप्सूल भरकर निकलेंगे तो रास्ते में किसी सुनसान स्थान पर उसमें से कुछ कॉमर्शियल सिलेण्डरों को भर देंगे प्रत्येक सिलेण्डर भरने का 01 हजार रूपया लेंगे इसी योजना के अनुसार ये लोग पिछले करीब 02 वर्षो से गैंस रीफिलिंग का कार्य कर रहे है पहले ये लोग सोनीपत हरियाणा में इस काम को करते थे फिर कुछ दिन बन्द करने के बाद पुनः शुरू किया ड्राईवर पुष्पेन्द्र व हरप्रीत ने अपने अन्य साथी ड्राईवर बहादुर सिंह व दिनेश जो टैंकरो/ कैप्सूलों से गैस को सप्लाई हेतु ले जाते थे को भी इस काम में सम्मिलित कर लिया औसतन 01 बार 01 टैंकर से 05 से 06 सिलेण्डर चोरी से भरते थे। सुधांशु सिंह अपने सहयोगी करण के साथ मिलकर रीफिलिंग का काम करता है इसके लिए कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम दिल्ली से अलग-अलग गैस सिलेण्डर एजेन्सियों से खरीद रखे है इसकी ज्यादातर सप्लाई ढाबों व होटलो पर करता है क्योंकि होटल वालो को गैस एजेन्सी से सिलेण्डर लेना महंगा पडता है इसलिए ये लोग कुछ सस्ता बेंचकर काफी मुनाफा कमाते हैं।

ड्राईवर पुष्पेन्द्र व दिनेश ने अपने-अपने टैंकर अमरोहा उ0प्र0 व हरप्रीत व बहादुर ने अपने-अपने टैंकर सितारगंज ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड सप्लाई के लिए द्रवित पैट्रोलिसम गैस लोड की थी तथा यह भी बताया कि एक-दो चक्कर मारने के बाद ये लोग करीब 100-150 किलोग्राम गैस बचा लेते है और उसको सुधांशु सिंह को अवैध रूप से रीफिलिंग कराकर बेच देते है इससे इन्हे हर चक्कर पर 5 से 6 हजार रूपये का फायदा प्रति टैंकर हो जाता है।

इस सम्बन्ध मे पूर्ति निरीक्षक रजापुर को सूचित किया गया तथा मौके पर बुलाकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.सुधांशु सिह पुत्र मान सिंह निवासी ब्रिजेश नगर कालोनी थाना जगदीशपुरा शाहगंज आगरा हाल पता रोहिणी बुद्धविहार फेस-2 दिल्ली

2.करण पुत्र नरेश सिंह निवासी बुद्ध विहार दिल्ली

3.हरप्रीत पुत्र मनजीत सिंह निवासी कस्बा व थाना कैमरी जनपद-रामपुर

4.पुष्पेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी छोटी बल्लभ थाना गोडा जनपद-अलीगढ

5.दिनेश पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम सुकररा थाना इगलास जनपद-अलीगढ

6.बहादुर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी कस्बा व थाना कैमरी जनपद-रामपुर

बरामदगी का विवरण:-

1.हिन्दुस्तान पैट्रोलियम के द्रवित पैट्रोलियम गैस के टैंकर / कैप्सूल -02

2.इण्डेन गैस के द्रवित पैट्रोलियम गैस के टैंकर / कैप्सूल -02

3.विभिन्न कम्पनियों के कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर भरे -25

4.विभिन्न कम्पनियों के कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर खाली -09
5.गैस रीफिलिंग मशीन-02
6.गैस रीफिलिंग करने हेतु पाईप बडे -06
7.गैस रीफिलिंग करने हेतु पाईप बडे -04
8.टाटा इन्टरा वी-20 गाडी- 01 (कॉमर्शियल सिलेण्डर लादने हेतु)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा फर्जी IAS अधिकारी बताकर ठगी करने वाली 01 अभियुक्ता व 3 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक फर्जी आई कार्ड व नियुक्ति पत्र आई ए एस,एक अर्टिगा कार नीली बत्ती लगी हुई व 15000/- रुपये बरामद ।

आज दिनांक 27.07.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री सतीश प्रार्थी सतीश कुमार पुत्र श्री हेमराज सिहं निवासी कैफे (अगीठी) संचालक कौशाम्बी गाजिया बाद की लिखित तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्ता व अभियुक्त (एक महिला व तीन व्यक्ति) द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी I.A.S अधिकारी बताकर 02 लाख रु की मांग करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 27.07.2024 को ही थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान फर्जी IAS अधिकारी बताकर ठगी करने वाली 01 अभियुक्ता व 3 अभियुक्तगण 1. कोमल तनेजा पुत्री स्वर्गीय नरेश तनेजा निवासी एफजी 01/20 ए विकाशपुरी दिल्ली-18 उम्र 34 वर्ष। 2. अमित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी फ्लैट नं02 C बिल्डिंग नंबर 40 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष। 3. अमित शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष। व 4. तिजारिफ पुत्र नूरुद्दीन निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना बडौत जिला बागपत उम्र 24 वर्ष कोएडीएम मॉल के पास एक फर्जी आई कार्ड व नियुक्ति पत्र आई ए एस, एक अर्टिगा कार नीली बत्ती लगी हुई व 15000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण के के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ की गई तो अभियुक्ता उत्तेजित होते हुए नियुक्ति पत्र मोबाइल पर दिखाया जो भारत सरकार द्वारा नंबर 14016/ 09/2022- UTS-I दिनांक 27.09.2022 को गोविंद मोहन एडिशनल सिक्योरिटी (UT) द्वारा जारी किया गया है। ड्राइवर सीट के बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम अमित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी फ्लैट नं0 -2C बिल्डिंग नंबर 40 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2 गाजियाबाद बताया एवं पीछे की सीट पर ड्राइवर साइड में बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम अमित शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी जिला गाजियाबाद बताया। संदिग्ध ता होने पर चारों व्यक्तियों को गाड़ी से नीचे उतार कर पुलिस टेक्निकल एवं मनोवैज्ञानिक विधि से पूछताछ की गई तो चारों ने एक स्वर में बताया कि हमारा एक ग्रुप है हम लोगों ने गाड़ी पर नीली लाल बत्ती लगवायी है। गाड़ी पर

आगे होम मिनिस्ट्री एडिशन डायरेक्टर पीछे भारतसरकार लिखाया है। हम लोग एनसीआर में कैंफे आदि मैं रात्रि के समय जाकर कोमल तनेजा को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को धमकाकर रुपये वसूलते हैं। रात्रि में अंगीठी कैंफे से एक लाख रुपये तय हुये थे। जिसमें से20,000/- रुपये रात में कैंफे मालिक से ले लिया थे। जिन्हें हम लोगों ने आपस में बांट लिये था। आज बाकी बचे रुपयों को लेने अंगीठी कैंफे जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्तगण का नाम व पता</u>

1. कोमल तनेजा पुत्री स्वर्गीय नरेश तनेजा निवासी एफजी 01/20 ए विकाशपुरी दिल्ली -18 उम्र 34 वर्ष।
2. अमित कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी फ्लैट नं02C बिल्डिंग नंबर 40 शालीमार गार्डन एक्सटेंशन 2 गाजियाबाद उम्र 43 वर्ष।
3. अमित शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी मेवला भट्टी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र35 वर्ष।
4. तिजारिफ पुत्र नूरुद्दीन निवासी ग्राम इदरीशपुर थाना बडौत जिला बागपत उम्र 24 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- एक फर्जी आई कार्ड व नियुक्ति पत्र आई ए एस,
- एक अर्टिगा कार नीली बत्ती लगी हुई,
- 15000/- रुपये बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लूट व चोरी करने वाले 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 05 मोबाइल फोन, लूट की 01 पीली धातु की चैन, चोरी की 02 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 1500/- रूपये बरामद।

दिनांक 26.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर लूट व चोरी करने वाले 03 शातिर लुटेरे 1. रवि उर्फ अभिषेक उर्फ धर्मवीर उर्फ पोपी उर्फ सुखा पुत्र राधेश्याम निवासी सी 2/113 जगतपुरी मंडोली रोड शाहदरा उम्र 24 वर्ष 2. फैजान उर्फ शब्बू पुत्र अनवार निवासी गली नं0 01 राजीव कालोनी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष व 3. फुरकान उर्फ नन्हे पुत्र लियाकत अली निवासी म0 नं0 618 गली नं0 01 राजीव कालोनी उम्र 23 वर्ष को डी0ए0वी0 कट शालीमार गार्डन से लूट के 05 मोबाइल फोन, लूट की 01 पीली धातु की चैन, चोरी की 02 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 1500/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का ग्रुप है । पहले हम लोग मोटर साइकिल चुराते हैं फिर उस मोटर साइकिल से लूट की घटना एं करते हैं। उसके बाद उसे कही भी छोड़ देते थे। ताकि हमें पुलिस न पकड़ पाये। हम सब लूटे हुए माल को राह चलते लोगों बेचकर जो पैसे मिलते आपस में बांट लेते थे। जिससे अपने शौक-मौज पूरे करते हैं। हम लोग लूटे हुए माल को बेचने दिल्ली की ओर जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता

1. रवि उर्फ अभिषेक उर्फ धर्मवीर उर्फ पोपी उर्फ सुखा पुत्र राधेश्याम निवासी सी 2/113 जगतपुरी मंडोली रोड शाहदरा उम्र 24 वर्ष।
2. फैजान उर्फ शब्बू पुत्र अनवार निवासी गली नं0 01 राजीव कालोनी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
3. फुरकान उर्फ नन्हे पुत्र लियाकत अली निवासी म0 नं0 618 गली नं0 01 राजीव कालोनी उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- लूट के 05 मोबाइल फोन, लूट की 01 पीली धातु की चैन , चोरी की 02 मोटर साइकिल व लूट से सम्बन्धित 1500/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

- अभियुक्त रवि उर्फ अभिषेक उर्फ धर्मवीर उर्फ पोपी उर्फ सुखा उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद में लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 08 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी से सम्बन्धित करीब 2 दर्जन अभियोग विभिन्न थानों पर पंजीकृत हैं। कुल 31 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त फैजान उर्फ शब्बू उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लूट से सम्बन्धित व लूट का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त फुरकान उर्फ नन्हे उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर लूट से सम्बन्धित व लूट का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम